



2026:AHC:60533

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11782/2026

खुशहाल एवं 3 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: नजाकत अली

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री नजाकत अली, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने और आपराधिक मामला संख्या 1469 वर्ष 2022 (राज्य बनाम खुशहाल और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो केस अपराध संख्या 139 वर्ष 2021, धारा 498A, 323, 504 आई.पी.सी., थाना- शाहगंज, जिला- आगरा के अंतर्गत विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के समक्ष लंबित है। इसके साथ ही आरोप पत्र संख्या 153 वर्ष 2021 दिनांक 26.06.2021, जिसमें संज्ञान आदेश दिनांक 25.01.2022 भी शामिल है, को पक्षों के बीच दिनांक 16.04.2025 को हुए समझौते के आधार पर और विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगरा द्वारा सत्यापित सत्यापन आदेश दिनांक 16.04.2025 के बाद रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पक्षों ने दिनांक 02.02.2024 के समझौते के माध्यम से अपने विवाद को सुलझा लिया है, जिसे वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक संख्या '4' के रूप में रखा गया है और जिसे विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा के न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से विधिवत सत्यापित किया गया है।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान विवाद आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया है कि पक्षों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, न कि किसी दबाव, धमकी या ज़बरदस्ती में, और वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और वे जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का इरादा नहीं रखते हैं।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों की सत्यता पर विवाद नहीं किया है।
6. पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को रद्द करने के संबंध में कानून सुस्थापित है।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003) 4 SCC 675** के निर्णय के आलोक में, यह माना गया है कि "उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (अब BNSS 528) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में जहाँ पक्षों के बीच वास्तविक समझौता हो गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 320 द.प्र.स., जो शमनीय अपराधों को सूचीबद्ध करती है, इस शक्ति को प्रतिबंधित नहीं



करती है, और सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है, भले ही अपराध अन्यथा गैर-शमनीय हों।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य**, (2012) 10 SCC 303 के अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में यह माना है कि "लेकिन वे आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी स्वरूप होता है, रद्द करने के उद्देश्यों के लिए अलग पायदान पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इसी तरह के लेनदेन से उत्पन्न अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद जहाँ गलत कार्य मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूर-दूर तक नहीं है और आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त के लिए भारी उत्पीड़न, पूर्वाग्रह और घोर अन्याय का कारण बनेगा यदि पूर्ण समझौते के बावजूद मामले को रद्द नहीं किया जाता।"
9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य**, (2017) 9 SCC 641 में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के व्यापक सिद्धांत इस आधार पर निर्धारित किए हैं कि "गैर-शमनीय मामलों में भी समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है ताकि न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में उपयोग किया जा सके।"
10. पक्ष संबंधित न्यायालय में अपने बीच लंबित कार्यवाही को वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। रिकॉर्ड के अवलोकन और ऊपर उद्धृत कानून से, वर्तमान मामला सम्मन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला है।



11. विवाद पूरी तरह से वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है जिसे पक्षों के बीच उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ आपसी रूप से सुलझा लिया गया है, इसलिए अभियोजन को और अधिक समय तक जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।
12. रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन, जो धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत दायर किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2025 का 3831, SLP (Crl.) संख्या 2019 का 11642 दिनांक 02.09.2025** में निर्धारित मानकों के दायरे में आता है।
13. उपरोक्त के आलोक में, आपराधिक मामला संख्या 1469 वर्ष 2022 (राज्य बनाम खुशहाल और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो केस अपराध संख्या 139 वर्ष 2021, धारा 498ए, 323, 504 आई.पी.सी., थाना- शाहगंज, जिला- आगरा से उत्पन्न हुई है, एतद्वारा रद्द की जाती है।
14. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

(नंद प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026